पेश किये है, उसके मुताबिक मुरबा नं0 71 की 0.620 है0 नहरी पर
में व खरीद के समय से लेकर आज तक मुझ वादी की है और वर्तमान
रिपोर्ट के अनुसार व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार भी मुरबा नं0 71 की
में कब्जा काश्त मुझ वादी की है, इसलिए उक्त खाता के मुरबा नं0 71
है0, 2/0/164 है0, 3/02127 है0, 4/0.076 है0, 5/0.025 है0 कुल
का किलावाईज विभाजन का आदेश जारी कर उसी अनुसार डिक्री जारी
दिया जावें। वादी का वाद पत्र वाद के पक्ष में आदेशित कर डिक्री

वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी
वादीगण के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी
किया हुआ है। जिसमें चक 60 एलएनपी के खाता सं0 68/65 का मुरबा
1/0.228 है0, 2/0/164 है0, 3/02127 है0, 4/0.076 है0 , 5/
है0 नहरी भूमि हिस्सा दर्ज है। वादी ने प्रतिवादीगण से जो अनुतोष
ने दावा में ही विभाजन कर दिया है। वादी का प्रतिवादीगण का कुल
दर्ज कर उसमें हिस्सा जो खरीद हुआ है। उसको हिस्सा घोषित करवाना
पूर्ण नहीं मांगा प्रतिवादीगण का हिस्सा कितना है। ब्यानी नहीं किया
संस्थित होने के बाद प्रतिवादीगण को सम्मन जाने के बाद न्यायालय में
वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में प्रतिवादीगण ने विभाजन में
अच्छी बूरी में से बूरी का वर्णन किया है। जवाब के बाद में वादी
ने दी कि अच्छी में अच्छी व बूरी में बूरी भूमि का विभाजन प्रस्ताव
व प्रतिवादी का समझौता होने के बाद श्रीमान पीठासीन अधिकारी का
पक्षों की समझौता से आना कानी कर रहा है व पटवारी हल्का से
भूमि की कब्जा काश्त वादी की रिपोर्ट भी पत्रावली में आई यह के
रिपोर्ट में सहमत न होते हुए आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। अब इस
कायम कर दोनों पक्षों की साक्ष्य आनी चाहिए न्यायालय के सामने सही
प्रतिवादीगण पटवारी की रिपोर्ट से आज भी सहमत नहीं है। लिखित

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2019.12.26 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested